

## अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023

### प्रलिस के लिये:

[USCIRF](#), अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023

### मेन्स के लिये:

भारत के हतियों पर नीतियों और देशों की राजनीतिका प्रभाव, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संबधति मुद्दे

### चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने [अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग \(US Commission on International Religious Freedom-USCIRF\)](#) की 2023 रिपोर्ट की सफारशियों को पक्षपाती और प्रेरति बताते हुए खारजि कर दिया है।

### USCIRF

- USCIRF एक स्वतंत्र, द्वदिलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है, जो वदियों में धर्म या वशिवास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिये समरपति है।
- यह अमेरिकी प्रशासन के लिये एक सलाहकार नकिया है।
- USCIRF's की वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट वदियों में धर्म या वशिवास की स्वतंत्रता के अमेरिकी सरकार के प्रचार को बढाने के लिये सफारशें प्रदान करती है।
- इसका मुख्यालय वाशगिटन DC में है।
- अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधनियम (IRFA), 1998 की नषिक्रयिता के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा स्थापति USCIRF की सफारशें राज्य वभाग पर गैर-बाध्यकारी हैं।
  - परंपरागत रूप से भारत USCIRF के दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता है।

### भारत की चतिएँ:


- कुछ कानूनों और नीतियों के बारे में चतिएँ: रिपोर्ट देश में कुछ कानूनों और नीतियों के बारे में चतिएँ पर प्रकाश डालती है जनिकी धर्म के आधार पर भेदभाव करने की उनकी क्षमता के कारण आलोचना की गई है।
  - इनमें धर्मांतरण, अंतर-धार्मिक संबध, हजिाब और [गोहत्या](#) से संबधति कानून, साथ ही [नागरकिता \(संशोधन\) अधनियम, 2019](#) तथा [राष्ट्रीय नागरिक रजसिटर \(NRC\)](#) शामिल हैं, इन सभी ने अल्पसंख्यकों को अनुकूल तरीके से प्रभावति नहीं किया है।
- अभवियकतकी स्वतंत्रता को प्रभावति करने वाले उपाय: यह उन तथाकथति उपायों के वषिय में चतिएँ जताता है जो महत्त्वपूर्ण आवाजों, वशिष रूप से जो [धार्मिक अल्पसंख्यकों](#) से संबधति हैं, को प्रभावति कर सकते हैं।
  - इनमें [वधि वरिद्ध गतविधियाँ रोकथाम अधनियम \(UAPA\), 1967](#) के तहत नगिरानी, उत्पीड़न, परसिंपत्त विधिवंस और हरिसत शामिल हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGO) भी [वदिशी अभदिय वनियमन अधनियम \(FCRA\), 2010](#) के तहत जाँच के अधीन हैं।
- CPC के रूप में भारत: इसने भारत को वशिष चतिएँ वाले देशों (CPC) के रूप में नामति नहीं करने के लिये अमेरिकी वदिश वभाग की आलोचना की है तथा भारतीय सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों पर प्रतबिंध लगाने का आह्वान किया है।
  - USCIRF वर्ष 2020 से भारत को वशिष चतिएँ वाले देश के रूप में नामति करने की सफारशि कर रहा है, लेकिन इसे अभी तक अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

## रिपोर्ट की सफ़ारिशें:

- वर्ष 2022 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के आधार पर USCIRF वर्ष 2023 के लिये अनुशंसा करता है कि राज्य विभाग:
  - CPC के रूप में पुनः नामित: बर्मा, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान।
    - अतिरिक्त सीपीसी के रूप में नामित: अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम।
  - वशेष नगिरानी सूची (SWL) पर बनाए रखना: अल्जीरिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर)।
    - SWL में शामिल करना: अज़रबैजान, मसिर, इंडोनेशिया, इराक, कज़ाख़स्तान, मलेशिया, श्रीलंका, तुर्की और उज़्बेकिस्तान।
  - वशेष चिंता (EPCs) की संस्थाओं के रूप में नया स्वरूप: अल-शाबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल-शाम (HTS), हौथसि, इस्लामिकि स्टेट इन द ग्रेटर सहारा (ISGS), इस्लामिकि स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविसि (ISIS-पश्चिमि अफ्रीका के रूप में संदर्भित ISWAP भी) और जमात नसर अल-इस्लाम वाल मुस्लिमिनि (JNIM)।

## वभिन्न श्रेणियों में देशों के पदनाम के लिये मानदंड:

- CPCs:** जब देशों की सरकार IRFA 1998 के तहत धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के "व्यवस्थिति, अवरित और गंभीर उल्लंघन" में शामिल होती है या सहन करती है।
- SWL:** यह धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के प्रति सरकारों के अपराध या सहनशीलता पर आधारित है।
- EPC:** व्यवस्थिति, गतमिन एवं गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन हेतु।



//

## भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति:

- भारत में धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है।

- **अनुच्छेद 25** (अंतःकरण की स्वतंत्रता और आचरण का अधिकार, अभ्यास और धर्म का प्रचार करने का अधिकार) ।
- **अनुच्छेद 26** (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) ।
- **अनुच्छेद 27** (धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय से स्वतंत्रता) ।
- **अनुच्छेद 28** (धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता) ।
- इसके अलावा **संविधान के अनुच्छेद 29 और 30** अल्पसंख्यकों के हतियों की सुरक्षा से संबंधित हैं ।

**स्रोत: द द्रिष्टि**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/international-religious-freedom-report-2023>

